Government of Bihar
Home (Police) Department

NOTIFICATION

Patna, May, 2013

NO.--------------------- In exercise of the power conferred by Section 55 read with Section 94 of Bihar Police Act, 2007 (Act - 7, 2007) the Governor of Bihar is pleased to substitute following for Column 3 of Appendix 103 of Volume III of Bihar Police Manual, 1978 with immediate effect –

4/5 Recruitment process of District Police and Military Police:

L. Reservation :

(a) The provisions of Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1991 as amended from time to time, shall be applicable for reservation.

(b) 50% of vacancies of each reserved and unreserved category shall be filled up only from trained home guards of Bihar as per notification no. – 1444, dt. 06.02.04 of Home (Police) Department, Bihar, Patna.

(c) As per provisions of Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1991 (Act - 3, 1992) (as amended from time to time) 3% posts are reserved for women of backward classes. Keeping this 3% reservation intact, 35% of rest 97% post of reserved and unreserved category shall be reserved for women separately.

In case of non-availability of suitable woman candidate the vacancies shall carried forward for three recruitment years and if in the third vacancy year suitable women candidate is not available the vacancy shall be filled up, after obtaining order from Home (Police) Department, from male candidate of relevant category (reserved/unreserved) in the same recruitment year.

In addition to the aforesaid 35% reservation, as the case may be, woman shall also be appointed as per merit under the provisions of Section 4 (3) of Bihar Act – 3/1992.

sd/-
By the order of the Governor
Principal Secretary to
Government
Home Department, Bihar, Patna.

Memo no.-4/P3-10-03/2013 H.P. 4111 Patna, Date: 29.05.2013

Copy – Copy forwarded to the Supdt., Government Printing Press, Gulzarbag, Patna-7 for publication in extraordinary issue of Gazette. It is requested to send one thousand extra copies of notification to Home (Police) Department for office use.

Sd/-
Principal Secretary to Government

Memo no.-4/P3-10-03/2013 H.P. 4111 Patna, Date: 29.05.2013

Copy – Copy forwarded to Director General of Police, Bihar, Patna with a request to take suitable steps to substitute the amended part in Bihar Police Manual as ordered by the State Government.

Sd/-
Principal Secretary to Government

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग
<u>अधिसूचना</u>

संख्या............ बिहार पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम 7, 2007) की धारा 55, सहपठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक खंड III 1978 के परिशिष्ट 103 की कंडिका 3 में तुरंत के प्रभाव से निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते है :–

4/5 जिला पुलिस एवं सैन्य पुलिस बहाली की प्रक्रिया :–

ठ. आरक्षण :–

(क) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 समय–समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा ।

(ख) गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 1444 दिनांक 06.02.2004 एवं गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1511 दिनांक 07.02.2004 के अनुसार केवल बिहार के प्रशिक्षित गृह रक्षकों से प्रत्येक आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियॉ भरी जानी है।

(ग) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के 35 प्रतिशत पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग–अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में तीन भर्ती वर्षो तक उन रिक्तियों को अग्रणित किया जायेगा तथा तीसरे भर्ती वर्ष में भी सुयोग्य महिला उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में उसे उसी भर्ती वर्ष में गृह (आरक्षी) विभाग से आदेश प्राप्त कर संबंधित कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा।

बिहार अधिनियम–3/1992 की धारा 4 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव,
गृह विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं0–4/पी03–10–03/2013 4111 पटना, दिनांक 28 मई, 2013

प्रतिलिपि – अधीक्षण, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 अतिरिक्त प्रतियॉ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह (आरक्षी) विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0–4/पी03–10–03/2013 4111 पटना, दिनांक 28 मई, 2013

प्रतिलिपि – पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार पुलिस हस्तक में राज्य सरकार के आदेशानुसार संशोधित अंश को प्रतिस्थापित करने की कार्रवाई की जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव